रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/फाल्गुन 1, 1940
No. 117] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 133(अ).—केंद्रीय सरकार, स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन नियम, 1953 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) नियम, 2018 है ।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन नियम, 1953 में—

(i) नियम 8 में—

(क) "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) "प्ररूप 'झ' " शब्द और अक्षर के स्थान पर "प्ररूप 'झ' या प्ररूप 'झक' " शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) प्ररूप 'झ' के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 'झक' "

(नियम 8 देखें)

सूचना

केंद्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित संपत्ति, जो अर्जन के अध्यधीन है, लोक प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी चाहिए, अर्थात् :-

और केंद्रीय सरकार द्वारा स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) के धारा 7 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन श्री/श्रीमती/कु0.....को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने के लिए तारीख.....को एक सूचना जारी की गई थी कि क्यों न उक्त संपत्ति को अर्जित कर लिया जाए।

और इस तथ्य पर विचार करने के पश्चात् कि उक्त सूचना के विरुद्ध कोई हेतुक दर्शित नहीं किया गया था/ उक्त सूचना के विरुद्ध दर्शाए गए हेतुक पर विचार करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति को अर्जित करने के लिए तारीख.....को सूचना जारी की गई थी।

और तारीख.....की उक्त सूचना को.....द्वारा तारीख.....के आदेश द्वारा इस आधार पर अभिखंडित कर दिया गया है कि स्वामी या संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को कारण बताने या वैयक्तिक सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था।

अत:, अब केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री/श्रीमती/कु0.....जो उक्त संपत्ति की स्वामी है, को इस सूचना की उस पर तामील होने की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करती है कि क्यों न उक्त संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाए।

अनुसूची

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

सेवा में,

.....

.....

....."

(iii) प्ररूप 'ञ' में, दोनों स्थानों पर आने वाले "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपधारा (1) या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 19017/1/2018-पीओएल.।]

नंदिता गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 948, तारीख 18 मई, 1953 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ.3224, तारीख 4 अक्टूबर, 1954; का.नि.आ. 3272, तारीख 19 अक्टूबर, 1954; का.नि.आ. 708, तारीख 25 मार्च, 1955; का.नि.आ.3252, तारीख 30 सितम्बर, 1957; सा.का.नि. 654, तारीख 23 जुलाई, 1958; सा.का.नि. 1212 तारीख 10 दिसंबर, 1958; सा.का.नि. 359, तारीख 26 मार्च, 1960; सा.का.नि. 502 तारीख 23 अप्रैल, 1960; सा.का.नि. 758 तारीख 15 अप्रैल, 1968 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DIRECTORATE OF ESTATES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2019

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Rules, 1953, namely:-

1. These rules may be called the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Rules, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Rules, 1953,-

(i) in Rule 8,-

(a) for the word, brackets and figure "sub-section(1)", the words, brackets, figures and letters "sub-section (1) or (1A)" shall be substituted;

(b) for the word and letter "Form 'I'", the words and letters "Form 'I' or Form 'IA'" shall be substituted;

(ii) after the Form 'I', the following form shall be inserted, namely:-

"FORM 'IA'

(See rule 8)

NOTICE

Whereas, the Central Government is of opinion that the property described in the Schedule hereto annexed which is subject to requisition should be acquired for a public purpose, namely;-

And Whereas, a notice dated …….. under the proviso to sub-section (1) of section 7 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952), was issued by the Central Government to Shri / Smt. / Km…… to show cause within the period specified therein why the said property should not be acquired.

And Whereas, after considering the fact that no cause was shown against the said notice / after considering the cause shown against the said notice, the Central Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 7 of the said Act, issued a notice dated ..... for acquisition of the said property.

And Whereas, the said notice dated …….. has been quashed by …… vide order dated …….. on the ground that the owner or any other person interested in the property was not given adequate opportunity to show cause or personal hearing.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1A) of section 7 of the said Act, the Central Government do hereby call upon Shri / Smt. / Km…… being the owner of the said property to show cause within fifteen days of the date of service of this notice upon him / her why the said property should not be acquired.

SCHEDULE

Signature…….

Designation……

To,

……
……
……..”

(iii) in Form ‘J’, for the word, brackets and figure “sub-section (1)”, the words, brackets, figures and letters “sub-section (1) or (1A)” occurring at both the places shall be substituted.

[F. No.19017/1/2018-Pol.I]

NANDITA GUPTA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.R.O. 948, dated 18th May, 1953 and subsequently amended vide notification numbers S.R.O. 3224, dated 4th October, 1954; S.R.O. 3272, dated 19th October, 1954; S.R.O. 708, dated 25th March, 1955; S.R.O. 3252, dated 30th September, 1957; G.S.R. 654, dated 23rd July, 1958; G.S.R. 1212, dated 10th December, 1958; G.S.R. 359, dated 26th March, 1960; G.S.R. 502, dated 23rd April, 1960; G.S.R. 758, dated 15th April, 1968.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.21 22:58:16 +05'30'